न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 183/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/315

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली		1. महेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खौड़ जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 16/1978–79, संकल्प संख्या 12(2) दिनांक 30.09.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 166 दिनांक 30.10.1999 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम खौड़ तहसील रानी के मूल निवासी है जहां पर उभयपक्ष का पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ है, जो उभयपक्ष के पिता स्व. जयसिंह वल्द भूरसिंह का कब्जा सुदा था, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में जयसिंह की खरीदसुदा खातेदारी भूमि, पूर्व दिशा में राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, खौड़ तथा पश्चिम दिशा में मेणो के मकान स्थित है। स्व. जयसिंह के चार पुत्र महेन्द्रसिंह, चन्दनसिंह, प्रतापसिंह तथा दिलीपसिंह है तथा जयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति का बराबर–बराबर हिस्सो में मौखिक बंटवाड़ा कर अपने पुत्रों को अलग–अलग भौतिक कब्जा सुपूर्द कर दिया था। महेन्द्रसिंह ने परिवार में बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हुये उपरोक्त पुश्तैनी भूखण्ड का गलत रूप से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष मकान बाबत् जमीन एलोट करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उसमें प्रस्तावित भूमि की अवस्थिति, पड़ौस और नाप दर्ज ही नहीं है और न ही स्थल निरीक्षण के व्यय पट्टे शुल्क जमा करवायी गयी। जैर निगरानी मिसल में दो अलग–अलग नक्शे उपलब्ध है जिनमें से प्रथम नक्शे में पूर्वी भूजा में कांट–छांट कर 60 फीट के स्थान पर 70 फीट किया गया एवं इसी प्रकार पश्चिमी भूजा में भी कांट–छांट कर 60 फीट के स्थान पर 70 फीट किया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

तथा द्वितीय नक्शे में अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि हड़पने की नियत से प्रथम नक्शा में दर्ज चारों भूजाओं के नाप से लगभग दुगूना नाप दर्ज कर जारी करवाया, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर भी पंचों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं है। ग्राम पंचायत ने आपत्ति ईश्तहार पर दक्षिण एवं पश्चिमी पड़ौस गलत दर्ज किया तथा प्रस्तावित भूखण्ड का नाप दर्ज ही नहीं किया। साथ ही गवाहों के बयानात से भी स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित भूमि का किन पड़ौस के बीच स्थित है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा 18000 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया जबकि नियमानुसार 300 वर्गगज तक का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1, उसकी पत्नी व उसके पुत्रों ने अपने हिस्से से ज्यादा वादग्रस्त भूखण्ड पर जोर जबरदस्ती से कब्जा कर नव–निर्माण करने हेतु आमदा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सिविल न्यायालय रानी में दावा प्रस्तुत किया, जिसमें जैर निगरानी पट्टे की प्रति प्रस्तुत की एवं उक्त प्रति से प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। जैर निगरानी पट्टा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी Ab Intio है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj, RLR 1996(1), 2019(1) CJ(Civ.) (Raj) 77, 2012(2) RRT 1265, 2016(4) DNJ (Raj.)1799, 144 DNJ (Raj.)1996, RRT 2001(1), RLR 1987 (1) पेश कर ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्व तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी सम्पति जयसिंह की है तथा जयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही उक्त सम्पति का अपने चारों बच्चों के नाम पट्टे जारी करवा दिये। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही भूमि का बंटवाड़ा करते है और उसमें कम ज्यादा भूमि आती है तो उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का कोई उल्लंघन नहीं है। चारों भाईयों की पट्टों की फाइल एक साथ लगाई गयी एवं जयसिंह की सम्पति में से पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी तथा अप्रार्थी का आवेदन एक जैसा है तथा उन सभी में एक जैसी ही प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें बयान भी एक ही दिनांक को लिये गये एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही समस्त बैठकों में एक जैसी ही कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी के पट्टे की मिसल एवं अप्रार्थी की पट्टे की मिसल दोनों में प्रस्तावित भूमि का नक्शा दुबारा जारी किया गया है तथा उसी नक्शे से पट्टे जारी किये गये है। यदि जैर प्रकरण में नियमों की पालना नहीं हुई है इसकी बात तो तब होती जब महेन्द्रसिंह ने अकेले ही अपने पक्ष में पट्टा बनाया हो परन्तु अप्रार्थी ने तो अपने सभी भाईयों के पक्ष में पट्टा बनाया है, जो विधिनुसार है। प्रार्थी ने इन्ही आधारों पर सिविल वाद भी पेश किया है जिनमें उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली है, प्रार्थी को उक्त पट्टे एवं उसकी प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी थी, उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने जैर निगरानी 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की है एवं उक्त देरीना के कोई स्पष्ट कारण भी प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिये भी जैर निगरानी खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी ने बिना किसी ठोस आधार के जैर निगरानी प्रस्तुत की है, जिस खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 16/1978–79, संकल्प संख्या 12(2) दिनांक 30.09.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 166 दिनांक 30.10.1999 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर आराजी उभयपक्ष के पिता जयसिंह की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

नजूल सम्पति थी, जिसका जयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनें चारों पुत्रों के मध्य मौखिक बंटवारा कर बराबर भागों में बांट दी परन्तु अप्रार्थी ने गलत तरीके से अपने हिस्से में आई भूमि से ज्यादा भूमि का जैर निगरानी पट्टा बनवा दिया, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ab initio है, जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि यदि जैर आराजी पुश्तैनी होती तो उसे बराबर हिस्से में बांटा जाना आवश्यक था परन्तु जैर आराजी जयसिंह द्वारा अर्जित की गयी थी एवं जयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही उक्त सम्पति का चारों भाईयों के मध्य बंटवारा कर दिया, यदि उसमें किसी को कम ज्यादा भूमि प्राप्त होती है तो वह हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत उल्लघंन नहीं है। जहां तक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का प्रश्न है, उसमें यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि सक्षम न्यायालय पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में परीक्षण करता है, न कि सम्पति के बंटवारे में हक अधिकारो का निर्धारण करता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के साथ–साथ प्रार्थी का भी पट्टा जारी किया गया था, इसलिये जैर निगरानी पट्टे की प्रार्थी को पूर्णरूपेण जानकारी थी उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की है उसमें भी देरीना का कोई स्पष्ट कारण पेश नहीं किया है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 के नियम 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है एवं इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 1999 पेश किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण के कथनों के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj 911 के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961, नियम 272– अधिनियम या नियम के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों की अनुपस्थिति – नियम 272 के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग– अभिनिर्धारित – न्यायोचित अवधि के भीतर प्रयोग करना चाहिए – न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी – न्यायालय केवल विधि की व्याख्या करते है न कि विधि का निर्माण करते है, जो कि अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का समर्थन नहीं करती है इसलिये जैर निगरानी अन्दर म्याद शुमार की जाती है, साथ ही राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे में, जैर निगरानी आराजी का दो बार नक्शा जारी किया गया, जिसमें प्रस्तावित भूमि के प्रथम नक्शें में भूमि का नाप दूसरे नक्शे में दोगुना कर दिया अर्थात् अप्रार्थी के पक्ष में दुगुनी भूमि का पट्टा जारी किया गया, जो विधिविरूद्ध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये कथन किया कि जयसिंह के चारों पुत्रों को प्राप्त भूमि का एक साथ पट्टा बनाने हेतु एक दिनांक को ही आवेदन पेश किया तथा सभी प्रकरण में दो बार नक्शे जारी किये गये एवं उसी नक्शे के अनुसार सभी आवेदकों के पक्ष में पट्टा जारी किया अर्थात् सभी पत्रावलियों

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

में समानान्तर रूप से कार्यवाही की जाकर एक ही दिनांक को प्रार्थी, अप्रार्थी एवं उनके भाईयों के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, इसलिये जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 256 के तहत प्रस्तावित भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। नियम 257(2) के तहत प्रश्नास्पद भूमि का एक नक्शा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार करवाया जायेगा अर्थात् उक्त नियम में केवल एक नक्शा तैयार किये जाने के प्रावधान अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में जो पुनः नक्शा जारी किया गया है, वह विधिविरूद्ध है।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह भी पाया कि जैर निगरानी याचिका की प्रश्नगत आज्ञा में जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी करने के आदेश दिये गये जबकि जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु दो प्रार्थना पत्र पेश किये, जिसमें एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.1978 को मकान बाबत् जमीन एलॉट करवाने तथा दूसरा प्रार्थना पत्र कब्जा सुदा जमीन का पट्टा बनवाने हेतु पेश किया जिस पर किसी दिनांक का अंकन नहीं है, जबकि नियम 256 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है, पंचायत को लिखित में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये है एवं उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि पर 20 वर्ष का कब्जा होना अंकित किया है जबकि दूसरे प्रार्थना पत्र में रियायती दर पर पट्टा जारी करने का निवेदन किया है, जो परपस्र विरोधाभाषी है।

जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रथम आदेशिका में सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा दो नक्शा तैयार किये गये है उनमें भी एक नक्शे पर भूजा का नाप 75 फीट एवं 60 फीट है जबकि दुसरे नक्शे पर भूजा का नाप 150 फीट एवं 120 फीट है एवं उस पर न तो सायल के हस्ताक्षर और न ही सरंपच, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर है। साथ ही उपरोक्त नक्शे कब बनाये गये, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। मनोनीत पंच नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है। प्रकरण में गवाहों के बयान विरोधाभाषी है, क्योकि आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में 20 वर्ष का कब्जा होने का तथ्य अंकित किया, जबकि जयसिंह के बयान में 40 वर्षों का कब्जा बताया गया है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर न तो जारी होने की दिनांक अंकित है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है, साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा 18,000 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया गया है, वो भी सन्देहास्पद है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं, इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 16/1978–79, संकल्प संख्या 12(2) दिनांक 30.09.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 166 दिनांक 30.10.1999 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत खौड़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेजो/साक्ष्य की जाचं कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner